प्रेषकः-

उपायुक्त, पानीपत।

With Flag

Diary No. 3019 Date 27/9/23
Case No. 1-L

सेवामें,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
MoEF& CC, RO, Chandigarh.

क्रमांक: दिनांक:

विषयः- **Diversion of 0.861 Ha. Forest land for Remodeling & Lining of Main Drain No. 2 by providing brick pitching on side slop from G.T. Road (NH-44) to Barsat Road reach RD 58100 to RD 67500 in Distt Panipat**

संदर्भ **NOC Proposal No. FP/HR/Canal/48639 Dated 02-09-2020.**

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव बारे आपको अवगत करवाया जाता है कि कार्यकारी अभियंता, सिचाई विभाग, पानीपत द्वारा प्रस्ताव "Main Drain No 2 by providing brick pitching on side slope from G.T. Road (NH-44) to Barsat Road reach RD 58100 to RD 67500 in Distt Panipat" मे गैर-वानिकी कार्य हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की वैबसाईट पर ऑनलाईन किया गया था। उक्त प्रस्तावित स्थल मे वन विभाग की संरक्षित भूमि उपयोग में लाई जानी थी। आवेदित किये गये प्रस्ताव की शिकायत श्री पी0पी0 कपूर, सूचना अधिकार कार्यकर्ता, समालखा द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली तथा उच्चाधिकारियों को की गई थी। श्री पी0पी0 कपूर, सूचना अधिकार कार्यकर्ता द्वारा की गई शिकायत की जांच हेतू श्री रविन्द्र सिंह, तकनीकि अधिकारी (वानिकी) ग्रेड 1, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था।

जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 27.11.2019 को प्रस्तावित साईट का मौका निरीक्षण तत्कालीन वन मण्डल अधिकारी सुश्री निवेदिता भोजराजन, भा0व0से0, श्री जय किशन, वनराजिक, श्रीनीरज, वन रक्षक, श्री एस0पी0 सिंगला, उप मण्डल अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, पानीपत, श्री हरीश कुमार, कनिष्ठ अभियंता, सिचांई विभाग तथा श्री पी0पी0 कपूर, सूचना अधिकार कार्यकर्ता की मौजूदगी में किया गया, जिसकी रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा फाईल सं0 12-68/2010-ROC Dated 11-12-2019 द्वारा The Under Secretary (ROHQ), Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Indira Paryavarn Bhawan, Jor Bag Road, New Delhi-110003 को भेज दी गई थी। जिसमें उनके द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग, सैक्टर-18 का रोड ड्रेन नं0 2 के साथ-2 बना हुआ है, जिस कारण ड्रैन नं0 2 के साथ रोड बनाने की आवश्यकता नहीं है। जांच अधिकारी की रिपोर्टानुसार विषयांकित प्रस्ताव को विड्रा (Withdraw) करने बारे आपत्ति लगाई गई है। तदानुसार जिला वन अधिकारी, पानीपत ने कार्यकारी अभियन्ता, सिचांई विभाग, पानीपत को उपरोक्त वर्णित प्रस्ताव को वापिस लेने हेतू कहा गया है। परन्तु कार्यकारी अभियन्ता, सिचाई विभाग, पानीपत ने अपने पत्र क्रमांक 2401-04/1-एल दिनांक 22.03.2022 एवं पत्र क्रमांक 9013-17/1-एल दिनाक 26.09.2023 (प्रति संलग्न है) के माध्यम से उपरोक्त विषयी कार्य एवं निरीक्षण सडक की उपयोगिता बताते हुए उपरोक्त वर्णित प्रस्ताव को वापिस ना लेते हुए वन विभाग को यथानियम अनुमति हेतू आग्रह किया है।

उपरोक्त विषयांकित विषय में यह भी अवगत कराया जाता है कि विषयांकित प्रस्ताव में अंकित स्थल पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग-44 से बरसत रोड के रास्ते ड्रेन न0 2 से होते हुए सनोली रोड पर मिलता है जिसकी connectivity से विभाग को आपातकाल व सामान्य निरीक्षण के लिए आसानी रहती है। इसके अतिरिक्त इस connectivity से वाहनों का आना जाना पानीपत शहर क्षेत्र से बाहर ही बाहर हो जाएगा। अतः पानीपत शहर को भी भीड से निजात मिल सकती है। इसके अतिरिक्त अवगत कराया जाता है कि जांच अधिकारी द्वारा जांच में अंकित किया गया है कि विषयांकित प्रस्ताव के अंकित क्षेत्र के साथ-2 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभागए सैक्टर-18 का रोड ड्रेन न0 2 के साथ-2 बना हुआ है, जबकि उक्त रोड/ क्षेत्र रिहायशी क्षेत्र होने के कारण वाहनों की पाबन्दी है तथा उक्त रोड पर गुरूद्वारा होने के कारण आगे से बन्द है, जिसकी connectivity ड्रेन न0 2 पर बने रोड से नहीं हो पाती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कार्यकारी अभियंता, सिचांई विभाग, पानीपत द्वारा आवेदित किये गये विषयांकित प्रस्ताव "**Main Drain No 2 by provinding brick pitching on side slope from G.T. Road (NH-44) to Barsat Road reach RD 58100 to RD 67500 in Distt Panipat**" के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतू प्रस्तावित केस संख्या **FP/HR/Canal/48639 Date of Sub. 02-09-2020** में जांच अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, तकनीकि अधिकारी (वानिकी) ग्रेड-1 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर पुनः विचार करते हुए उक्त केस में अधिकतम जन उपयोग हेतू **CM Announcement** होने के कारण आवश्यक स्वीकृति बारे आगामी आवश्यक कार्यवाही करने/करवाने का कष्ट करें।

संलग्न/ उपरोक्त

-Sd-
उपायुक्त, पानीपत।

पत्र क्रमांकः- 2007 / MB दिनांकः- 27-09-23

उपरोक्त की प्रति कार्यकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, पानीपत के पत्र क्रमांक 9013-17/1-एल दिनाक 26.09.2023 के संदर्भ मे निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः-

1. वन मण्डल अधिकारी, पानीपत।
2. कार्यकारी अभियंता, सिचाई विभाग, पानीपत।

उपायुक्त, पानीपत।